संख्या– /49–3–2010–100(51)/2009

प्रेषक,

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,उ0प्र0.
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2010.

विषय– अनुदान संख्या–83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2010–11 में उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ को पैक्स के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के नेतृत्व विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए रोस्टर को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1642/शिक्षा–बजट, दिनॉक 18 जून, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अधीन उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ को पैक्स के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के नेतृत्व विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए रू0 25.00 लाख, स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–478/26–ब0प्र0–2010–100(51)/2009, दिनांक 03–06–2010 के अनुसार प्रशिक्षण के चतुर्थ चरण में प्रदेश के 33 जनपदों के 63 विकास खण्डों में प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित 02 माह के रोस्टर पर शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कृपया तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–2066 (1)/49–3–2010, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ।
4– वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–4/वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/ बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजनाथ)
अनु सचिव।